:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः सामान्य / के.भं. / क्रय / 76 / 2021–22 / 43495 दिनांकः 20-10-21

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की जिला कारागृहों हेतु नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर–26 नग, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर– 26 नग तथा 05 केन्द्रीय कारागृहों हेतु एक्स–रे बैगेज स्कैनर– 05 नग क्रय करने हेतु ई–बोली आमंत्रित की जाती है। ई–बोली दिनांक 22 / 10 / 2021 को सायंकाल 5.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:–

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड़ प्रारम्भ की तिथि	22 / 10 / 2021 को सायंकाल 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	22 / 10 / 2021 को सायंकाल 5.00 PM से
3.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	11 / 11 / 2021 को प्रातःकाल 11.00 AM तक
4.	बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा पत्र, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के ई–ग्रास चालान जमा कराने की तिथि एवं समय	11 / 11 / 2021 को दोपहर 1.00 PM तक
5.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	11 / 11 / 2021 को दोपहर 2.00 PM
6.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट *www.home.rajasthan.gov.in* अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वैबसाईट *www.sppp.rajasthan.gov.in* पर देख सकते हैं।

UBN NO. JLD2122GLOB00045, JLD2122GLOB00046, JLD2122GLOB00047

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः सामान्य / के.भं. / क्रय / 76 / 2021–22 / 43495-501 दिनांकः 20-10-21

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव.. ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई–बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों में और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र, अखिल भारतीय स्तर का दैनिक समाचार में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 20 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
4. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय बैवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः सामान्य/के.भं./क्रय/76/2021–22/ 43495 दिनांकः 20-10-21

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की जिला कारागृहों हेतु नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर–26 नग, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर– 26 नग तथा 05 केन्द्रीय कारागृहों हेतु एक्स–रे बैगेज स्केनर– 05 नग क्रय करने हेतु ई–बोली आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 22/10/2021 को सायंकाल 5.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 11/11/2021 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑन लाइन प्रस्तुत की गई बोली की निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा पत्र को स्केन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 11/11/2021 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस, बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा पत्र जमा कराने होंगे। ई–बोली की क्वालीफाईड बिड दिनांक 11/11/2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट "www.home.rajasthan.gov.in" अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देख सकते है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि
1.	नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर	26 नग	390.00	1000/-	30 दिवस
2.	डीप सर्च मेटल डिटेक्टर	26 नग	26.00	500/-	30 दिवस
3.	एक्स–रे बैगेज स्केनर	05 नग	100.00	1000/-	30 दिवस

–: बोली की मुख्य शर्ते :–

1. प्रत्येक सामग्री की बोली हेतु बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा–पत्र, बोली प्रपत्र शुल्क व प्रोसेसिंग फीस पृथक–पृथक देय होगे।
2. ई–बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क **"महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर"** के नाम ई–ग्रास चालान के द्वारा दी जायेगी।
3. ई–बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की बोली प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशंक आर.आई.एस.एल. के नाम ई–ग्रास चालान के द्वारा अलग से दी जायेगी।
   1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है –रूपये 500/–प्रति बिडर प्रति बोली
   2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक है–रूपये 1000/– प्रति बिडर प्रति बोली
4. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस के अलग–अलग ई–ग्रास चालान एवं बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा–पत्र ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 11/11/2021 को दोपहर 1.00 PM तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस के ई–ग्रास चालान एवं बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा–पत्र जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा–पत्र एवं प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।

5. क्वालिफाईंग (तकनीकी–वाणिज्यिक) बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) क्वालीफाईड बिड खुलने की दिनांक से 10 कार्यालय दिवस में खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।

6. जो बोलीदाता ई–बोली (E-Tender) में भाग लेना चाहते है सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी. सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः ड़िजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

7. जो बोलीदाता ई–बोली सामग्री आपूर्ति में भाग लेना चाहते है वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते है।

8. **निर्माता द्वारा बोलीयॉ :–**

(i)ई–बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सामग्री/उपकरणों के लिए बोली, सम्बन्धित आईटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा नियुक्त प्राधिकृत डीलर/ऑथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेन्ट/चैनल पार्टनर द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट– 'द' में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन किये जायेंगे।

(ii)बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उधोग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।

9. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ईकाई हेतुः–**

(i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत् वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा पत्र तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 0.5 प्रतिशत देय होगी।

(iii) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(iv) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ–पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।

(v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय अद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारूप "क" मय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.

10. यदि सामग्री/उपकरणों का कोई भी आईटम/वस्तु निम्न गुणवत्ता की होगी तो वह आईटम/वस्तु उपापन समिति अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी।

11. बोली में भाग लेने वाले निर्माता/डीलर को किसी भी सरकारी विभाग में जिस सामग्री/उपकरणों की बोली प्रस्तुत की गई हैं उस प्रकार के सामग्री/उपकरणों का अनुभव प्रमाण पत्र/आदेश की प्रति, जिसके प्रमाणस्वरूप संबंधित विभाग से जारी संतोषजनक कार्य सम्पादन एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में बोली पर विचार नही किया जायेगा।

12. राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो प्रोक्योरमेन्ट आफ गुडस (प्रीफरेन्स टू एम.एस.एम.ई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उघमो को कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनो नियमानुसार प्रदान की जावेगी।

13. बोली के साथ बोलीदाता को वैध बिक्रीकर/जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं बिक्रीकर बकाया न होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 3(ii) देखें) की प्रमाणित प्रति ई–बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करने होंगे।

14. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।

15. ई–बोली सूचना में अंकित सामग्री/उपकरणों की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) स्पेसिफिकेशन में अंकितानुसार होगी, जिसकी समयावधि का प्रारम्भ इंस्टोलेशन तिथि से होगी।

16. ई–बोली सूचना में अंकित सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति बोली में निर्धारित अवधि में महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर में करनी होगी। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों का विभागीय निरीक्षण समिति से निरीक्षण करवाया जावेगा। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों के विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिलों का बजट की उपलब्धता पर नियमानुसार राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया जायेगा।

17. ई–बोली सूचना में अंकित सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति किये जाने पर फर्म द्वारा राज्य की संबंधित कारागृहों पर स्थापित किये जाने है। इस कार्यालय/विभाग द्वारा चाहे जाने पर संबंधित कारागृह पर सफल बोलीदाता/फर्म को अपना इंजीनियर/तकनीकी कर्मचारी/प्रतिनिधि भिजवाकर उक्त मशीनों का इन्स्टॅालेशन करवाना होगा, इस हेतु कार्यालय/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

18. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा सामग्री/उपकरणों के संचालन एवं रख–रखाव के लिए कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस हेतु विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

19. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित की गई सामग्री/उपकरणों में किसी भी प्रकार की तकनीकी/अन्य खराबी होने अथवा मशीन के बंद हो जाने पर संबंधित कारागृह प्रभारी द्वारा दूरभाष/लिखित में शिकायत दर्ज कराने पर तीन दिवस के भीतर उपस्थित होकर मशीनरी को दुरूस्त करना होगा। फर्म का प्रतिनिधि/इंजीनियर तीन दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना/पैनल्टी वसूली जायेगी।

20. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री/उपकरणों में खराबी (टूट–फूट के अतिरिक्त) होने पर पार्ट्स/पुर्जो अथवा सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नही किया जावेगा।

21. आवश्यकता होने पर क्रय समिति द्वारा चाहे जाने पर ई–बोली सूचना में अंकित सामग्री का डेमो करवाया जा सकता है। जिसका समस्त खर्चा संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन में सफल पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जावेगा।

22. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण

2

प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

23. दरों की वैधता–प्राईस बिड (वित्तीय बोली) खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
24. अनुमानित क्रय की मात्रा विभागीय आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
25. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई क़रने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ मे ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
26. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
27. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब, स, द एवं अनूसूची क तथा अनुलग्नक–अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर बाद हस्ताक्षर कर अपलोड़ कर बोली में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अं, ब, स, द एवं अनूसूची क तथा अनुलग्नक–अ, ब, स में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
28. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार **"महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर"** किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।
29. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।
30. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान यथा आवश्यकतानुसार लागू होगें।
31. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नही किया जावें।
32. आईटमवार पृथक–पृथक BOQ बोलीदाता को भरने होगें।
33. बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यानपूर्वक अध्ययम करने के बाद ही ई–बोली भरी जावें।
34. ई–बोली दो बिड़ प्रणाली के तहत् आमंत्रित की जा रही है यथा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली। प्रथमतय समस्त बोली की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तो तथा योग्यता मापदण्डो के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/सफल पाये गये बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।
35. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:–

उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर।
दूरभाष नं. 0141–2609202 ई–मेल purchasejhq@gmail.com

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई–मेल का पता	
3.	फर्म की पंजीकरण क्रमांक जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति स्केन कर संलग्न की जावे)	
4.	वैट / जीएसटी बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (संलग्न किया जावे)	
5.	बोली प्रतिभूति राशि के घोषणा पत्र विवरण	
6.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
7.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

(उक्त सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से हस्ताक्षर उपरान्त स्केन कर **"तकनीकी निविदा"** हेतु आवश्यक रूप से अपलोड करे)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म

पता :–

2

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर
(बोली प्रपत्र–क्वालीफाईंग बिड)
परिशिष्ट "अ"
घोषणा

(I) ———————————————————— क्रय करने हेतु के लिए ई–बोली।

(II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–...
का नाम व डाक का पूर्ण पता :–...
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहित :–...
....

(III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :– महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
(IV) सन्दर्भः–ई–बोली आमंत्रण संख्याः–सामान्य/के.भं./क्रय/76/2021–22/ दिनांकः
(V) बोली प्रपत्र शुल्कः– राशि रूपये .... बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या......................... दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है ।
(VI) बोली प्रोसेसिंग फीस :–राशि रूपये......................................डीडी नं.......................................दिनांक................ ....जमा करा दी है।
(VII) हम बोली आमंत्रण संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथां विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "स" तथा परिशिष्ट "ई" में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
(VIII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।
(IX) हम सम्पुष्टि करते है कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।
(X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट "ई" में अंकित स्पेसिफिकेशन के लिये हैं।
(XI) हमारा जी.एस.टी. में पंजीयन संख्या .... है।
(XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेगें, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है।
(XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है।
(XIV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई–बोली में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

2. **बोली भरने की प्रकिया :–**

(ए) परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है। क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" "द" एवं "इ" तथा अनुलग्नक अ, ब, स, द में अंकित शर्तो की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक 'ब' डाऊनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ स्कैन कर अपलोड़ करना आवश्यक होगा।

(बी) परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई–बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीक–वाणिज्यिक बोली में योग्य (क्वालीफाईड) बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

2

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट "ब"

(बोली प्रपत्र–प्राईस बिड)

1. ———————————————————— क्रय करने हेतु के लिए ई–बोली।

2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :–...
का नाम व डाक का पूर्ण पता :–...
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :–..

3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है:– महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।

4. सन्दर्भ:– सामान्य / के.भं. / क्रय / 76 / 2021–22 / दिनांक: / /2021

5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:–
(क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम (ख) मात्रा :–..............................
(ग)दरें –एफ.ओ.आर. केन्द्रीय भण्डार, मुख्यालय कारागार राज. जयपुर, निम्नानुसार अंकित करे:–
(i) दरें –(प्रति नग):–

क्र. सं.	वस्तु / आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा	दर	दर प्रति सैट/नग	जीएसटी राशि रूपये	कुल योग
1.	नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर	26 नग	प्रति नग	**ई–बीडिंग के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।**		
2.	डीप सर्च मेटल डिटेक्टर	26 नग	प्रति नग			
3.	एक्स–रे बैगेज स्केनर	05 नग	प्रति नग			

परिवहन एवं पैंकिग चार्ज व इन्सटॉलेशन दरों में शामिल किया जावेगा। उक्त करो में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करे।

नोट:(i) दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होवे।

(ii)अस्पष्ट वाक्य जैसे:– टैक्स पेड, कर सहित, 'एज़ एप्लीकेबल' का प्रयोग नहीं किया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

2

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट–"स"

खुली बोली/ई–निविदा के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रियाः**–बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।

2. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ईकाई हेतुः–**

(i) ई–बोली आमंत्रण विस्तृत सूचना में अंकित समस्त आइटम्स्, वित्त विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लद्यु उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है। आरक्षित उद्यम के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने पर आरक्षित उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। आरक्षित उद्यम से भिन्न बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की दर का नियमानुसार अनुमोदन किया जावेगा।

(ii) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वें फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत् वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लद्यु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।

(iv) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :–**

(i) कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।

(ii) राजस्थान स्थित फर्मो द्वारा गत छः माह से अधिक वेट/जीएसटी बकाया नही होने का शपथ पत्र की प्रति स्केन कर प्रस्तुत करनी होगी।

2

5. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब, स, द तथा इ एवं अनुलग्नक–अ, ब, स, द का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक–अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिषिष्ट अ, ब, स, 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक अ, ब, स, द डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ स्केन कर अपलोड़ करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।

6. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्थां द्वारा किसी भी उपापन प्रकिया या उपापन संविदा में समपह्वत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ मे ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

7 **दरें :–**

(i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें परिशिष्ट "ई" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट "ई" में अंकित स्थान पर दी जाऐगी।

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

2

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगीं।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xi) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

8. बातचीत (Negotiation) :–

(i) जहॉं तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

9. बोली की विधि मान्यता:–

दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive Bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

10 अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है । यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

11. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

12. स्पेसिफिकेशन:–

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलो मे जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओ की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एंव मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात बोलीदाताओ द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी।

13. **निरीक्षण एवं परीक्षण** :–

(i) (A) ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/आइटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा ।

(B) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशॉप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।

(iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभारः– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे । यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(v) निरीक्षण प्रभारः– विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

(vi) रद्द करना (Rejection):– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेंगें। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी ।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

14. **माल की सप्लाई** :–

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

2

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR मुख्यालय कारागार राज. घाटगेट जयपुर पर भेजा जाऐगा ।

15. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

16. सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी ।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

17. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(iii) पुनरादेश अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद पुनरादेश के लिए ऐसे प्रदायगी आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आऐगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

18. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन** :–सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

19. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :–**

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि के लिए का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लद्यु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) बोली प्रतिभूति राशि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर'' के नाम से निम्न रूप में दी जायेगीः–

(अ) नकद रसीद द्वारा या

(ब) नकद– शीर्ष ''8443'' सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ई–ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है । या

(स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।

2

(iii) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** (Refund of Bid security):– असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाऐगी ।

(iv) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्व समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(v) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।

(vi) **बोली प्रतिभूति का समपहरण** (**Forfeiture of Bid Security**):– बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड.) यदि बोली लगाने वाला आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं इनके आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

20. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 30 दिन में माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं अधिकतम रूपये 500/– तक के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है। एसएसआई ईकाइ के लिए 0.5 प्रतिशत एवं लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों के दशा में जिनके मामले ओद्यौगिक एंव वित्त पुननिर्माण बार्ड के समक्ष लंबित है यह बोली का 1 प्रतिशत है।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:–

(क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन

2

प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः— अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(iv) <u>**कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण**</u> (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):— सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः—

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः—

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र

(vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये ।

21. <u>**बीमाः—**</u>

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाऐगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (युद्व, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाऐगी ।

22. <u>**भुगतानः—**</u>

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता की स्थिति में भुगतान किया जाऐगा ।

2

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे ।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे ।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

(vi) **<u>परिनिर्धारित क्षति</u>** <u>(Liquidated Damages):–</u>
परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%
(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए
(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10%
(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।
(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।
(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

<u>नोट</u> : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

23 **<u>वसूलियॉं</u>**:–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

24. बोलीदाताओ कों यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

25. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

26. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

2

27. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार(संरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

28. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

29. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

30. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

31. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

32. सामग्री की आपूर्ति मुख्यालय कारागार राजस्थान, घाटगेट जयपुर पर देनी होगी।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

परिशिष्ट "द"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा
(निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप तथा बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर एवं सप्लायर)

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं।
2. मेरे द्वारा निविदा के साथ संलग्न समस्त निविदा शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ', 'ब', स एवं ई तथा अनुलग्नक "अ", "ब", "स" "द" तथा ई–बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है तथा समस्त निविदा की शर्तों की पालना हेतु बाध्य है व अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग में ब्लेक लिस्टेड़ (काली सूची) में घोषित नही हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकारा करने के प्रमाण स्वरूप)

नाम ....

नाम फर्म ....

....

....

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

2

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

2

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

2

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……..........…...of…………..

Before the ……………………………….(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :……………………………………………………….......
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………........… (Supported by an affidavit)

7. Prayer :………….…………………………………………………......................
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………

Place …………………………

Date …………………………

Appellant's Signature

2

अनुलग्नक 'द'

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

प्रारूप ख

शपथ पत्र का रूप विधान

(खण्ड़ 11 देखिए)

मैं.. पुत्र .... आयु .... वर्ष...................का निवासी, मैसर्स .... का स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:–

(क) मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित उधम मैसर्स .... को जिला उधोग केन्द्र .... द्वारा उधम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति जारी की गयी है। अभिस्वीकृति सं............................ दिनांक .... निम्नलिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी की गयी है:–

वस्तु का नाम	उत्पादन क्षमता (वार्षिक)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(ख) मेरी/हमारी उपरोक्त उल्लिखित उधम संबंधी ज्ञापन भाग–II की अभिस्वीकृति उधोग विभाग द्वारा रद्द या प्रत्याहृत नहीं की गयी है तथा यह कि उधम उपरोक्त वस्तुओं का नियमित रूप से विनिर्माण कर रहा है।

(ग) मेरे/हमारे उधम के पास समस्त अपेक्षित संयत्र और मशीनरी है और उपरोक्त उल्लिखित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित है।

स्थानं:–

हस्ताक्षर

स्वत्वधारी/निदेशक प्राधिकृत

हस्ताक्षरी

मय रबर स्टाम्प एवं दिनांक

2

परिशिष्ट "ई"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर–26 नग, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर– 26 नग तथा एक्स–रे बैगेज स्केनर– 05 नग के संबंध में एफ.ओ.आर., मात्रा, नाप, स्पेशिफिकेशन आदि का विवरण निम्न प्रकार है:–

(क) एफ.ओ.आर. : केन्द्रीय भण्ड़ार, मुख्यालय कारागार, राज. घाटगेट, जयपुर।
(ख) कुल आपूर्ति अवधि : 30 दिवस
(ग) कुल मात्राः. निविदानुसार
(घ) स्पेशिफिकेशन एवं प्रति नग मात्राः–

TECHINICAL SPECIFICATION OF NON LINEAR JUNCTION DETECTOR (NL JD)

PARAMETERS	**SPECIFICATION**
Technology	State of art technology using digital signal processing (DSP)
Transmitter, Frequency Power output, Modulation **Receiver,** Frequency Sensitivity	Equipment should have Working Frequencies 800-915MHz and 2.4GHz-2.472GHz +R x Frequencies for second and third Harmonics (auto selection) emmitted signal frequency. power output less than 6watt for continuous operation AM/FM - 140 dbm. (Decibel-Mili watt) or better
Antenna Gain cables / Connectors	Should have high gain antenna. All cables and connectors should be well secured.
Display, Audio Output Test target	Display should have ultra bright LED/LCD display and able to read in day light. Visual display should distinguish both 2nd and 3rd harmonics and compare of 2nd and 3rd harmonics. Should have control functions :- (a) Volume (b) Power selection Audio with and without head phone.
Power Requirements Battery Battery charger	1- Rechargeable battery should provide minimum **4** hrs. continues operation time on single full charge 2-Should provide spare battery. 3-Battery should have protection against reverse polarity. 4- Battery should be min. 3 year warranty. Battery charger should be able to work on 180 to 240 V. AC Battery charger should be designed for fast recharging
Operation Conditions Operational, Temperature & Humidity range, activation Weight Required, (Approx.) :	- 5°C to + 50°C or better Humidity 90% RH or better (The system should not activate any radio controlled device at maximum Power in close proximity to search head) Total operational weight should not be more than 4 Kg.
Warranty	(a) 03 year from the date of installation (include spares & service) (b) OEM/supplier must give undertaking to provide spares for 10 Years.
Miscellaneous	**The firm should be able to provide the following.** (a)- Sufficient training for users. b) -User's Hand Book/ Tech Manual giving full description of the item. (c) - The equipment should have caring in pelican case & All parts of equipment should have packed into separate standard spongy pockets in the case.

उपरोक्त हार्डवेयर/उपकरणों के स्पेसिफिकेशन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अति. पुलिस अधीक्षक(सतर्कता)
मुख्यालय कारागार, राजस्थान

लेखाधिकारी
मुख्यालय कारागार राजस्थान

अधीक्षक
केन्द्रीय ...

SPECIFICATIONS FOR DEEP SEARCH METAL DETECTOR (DSMD)

Sr. No.	Technical parameter for Deep Search Metal Detector
1	**Physical characteristic:-** i-. The detector and its accessories should be comfortable for handling ii-. Light weight and made of non-corrosive (exceptionally corrosion protected) material, carbon fibre, glass fibre etc. iii. Material should have pro.ven reliability and durability. iv. Complete equipment should be Water Proof (IP- 67 standard complied) . v. It should be a single composite unit including the control unit and extension shaftwith all cable and connectors inside and connectors or cable should not be visible outside except headphone connector to avoid any mishandling. vi. Equipment should have a attachable armrest for easy to operate.
2	**Weight &Dimension :** i) Operational unit weight (including telescopic pole, control unit with batteries & Search coil) should not more than 03 kgs (max.). ii) Bag pack weight of the equipment with search head including accessories 5 kgs. iii) Total weight of the equipment including carrying case with accessories should not be more than 10 kgs.
3	**Transport, Storage :** i- The detector together with its accessories must come in a lightweight, durable compact backpack bag that is capable of surviving in all adverse environmental conditions. ii. A ruggedized carrying case should also be provided for safe transportation.
4	**Search Head:** i. The search head may be in any shape i.e. Circular, oval or rectangular ii. The total area of search head should be between 210 sq.cm to 710 sq. cm. (in any shape). iii. The search coil should have facility to be disassembled and reassembled with the main control unit. iv. Automatic adaptation of different coil sizes to the control unit. v. Extendable stem / rods to extend the length of detector.
5	**Length of telescopic pole:** Search head should be connected with a telescopic pole which should allow prolonged usage by the operator in kneeling, standing and lying position without causing undue fatigue for both minimum and maximum possible extension. The length of telescopic pole should be given. [Collapsed -700 to 800 mm approx.,Extended 1500 to1600mm approx.]
6	**Detection setting procedure:** i. The detector should be operational and capable of being set for operation in air/metal free soil within 30 sec. of switching on of setting switch. ii. Trigger level/threshold control to be provided.

7	**Detection Sensitivity :** **A) The size and shape of the objects which the tests will be conducted are as under :-** i) 0.15 gm metal - 1 inch x 1 inch tin foil ii) 50 mm nail - Thickness 03 mm and dia of head 06 mm. iii) Salty water – 03 gm iodized common salt in 1 ltrs. of water. **B) The sensitivity of the detector must meet the following specifications:** i. **In free Air** :(a) 0.15 gm metal 25 cm; (b) 50 mm nail vertical 35 cm; (c) 50 mm nail horizontal 27 cm; ii. **Under Ground**:(a) 0.15 gm metal 17 cm; (b) 50 mm nail vertical 30 cm; (c) 50 mmnail horizontal 20 cm; **iii.In clear water**:(a) 0.15 gm metal 17 cm; (b) 50 mm nail vertical 30 cm; (c) 50 mm nail horizontal 21 cm; **iv. In salty water:**(a) 0.15 gm metal 17 cm; (b) 50 mm nail vertical 30 cm; (c) 50 mm nail horizontal 21 cm; **All these testing should be conducted on normal soil and mineralized soil.** **C)**Detector must be capable of pinpointing detected metal to ± 5 cm range. The distance will be taken from the centre of the search head to the centre of the object. **D)**Detection tone should be distinct from the working tone. The instrument should be freefrom radio and static interference. **E)** Ground compensation feature should be in the equipment for manual ground compensation by the user if required for any particular soil and this feature should be independent of Sensitivity button.
8	**Detection Capabilities :** i. Very easy and effective searching of large areas. ii. Should detect all ferrous and non ferrous metals with different detection tones. iii. Must be capable of detecting buried metals in all types of soil including laterite (ferrousand aluminium oxide).(**certification required from approval testing facilities**). iv. Under water 1 feet. v. It should work in all weather condition from arid to pouring rain. vi. Usage time should be minimum 12 hours on rechargeable batteries. vii. Working temperature range should be -5°c to +50°c (**certification required from approval testing facilities**). viii. The equipment should be able to differentially detect two detonators(no.27/33) placed ata distance of one feet apart.
9	**Control panel and display unit:** **i.** The integrated unit should have LED display bright enough to be visible in sunlight. **ii.** Display should show signal strength / intensity, ground balance setting, indication of detection of metal ferrous, battery condition and all other mode settings. **iii.**It should have filter to reduce intermittent or pulsed false signals. **iv.** It should have visual as well as audio signal for metal detection. **v.** Other basic functions – volume control, gain control, resetting button, arm support.
10	It should have speaker & Headphone for audio signal
11	**Electrical Parameter:** i. The equipment should worked on rechargeable and also on li-ion/ alkaline batteries.

	ii. Two sets of rechargeable batteries with battery charger to be provided with each equipment. iii. The battery usage time should be minimum 12 hours on rechargeable batteries. iv. The battery charger should protect battery from over charging. v. When equipment is switched on, battery level status with audio to be provided in the equipment. vi. The electronic circuit should be hermetically sealed and separate from bty. So that in case of bty. Leakage the electronic circuit is not damaged. The OEM will provide a certificate/undertaking For same .
12	i. Detector design should allow its use both with and without ear phone. The equipment must have volume control facility .detector must give detection sound when operated without ear phone. If ear phone is used the detection sound should not be heard in open but only in ear phone. ii. Detector must have a power control and sensitivity control to detect all type of ferrous /non ferrous metals.
13	**Power Supply:** i. The equipment should be powered by commercially available rechargeable battery with 3 hour continues working capacity with single charge. ii. Should provide one spare battery. iii. Battery should be min. 3 year warranty . iv. Battery charger designed for fast recharging.
14	**Warranty** i. 3 year from the date of installation (include spares & service). ii. OEM / supplier must give undertaking to provide spares for 10 years

उपरोक्त हार्डवेयर/उपकरणों के स्पेसिफिकेशन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अति. पुलिस अधीक्षक(सतर्कता)
मुख्यालय कारागार, राजस्थान
सदस्य

लेखाधिकारी
मुख्यालय कारागार राजस्थान
सदस्य

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
अध्यक्ष

TECHINICAL SPECIFICATION OF BAGGAGE SCANNER

Parameter	Specification
Operating Voltage	230AC 50HZ Power Supply And should be able to with stand Voltage fluctuations in the rang of 170v to 260v.
Tunnel Size	600-650 MM [W] X 400-450 MM [H] or Better
Penetration	35mm Thickness of Steel or more
Resolution	The machine should be able to display single uninsulated tinned copper wire of 38 SWG wore. All penetration and resolution Condition should be met without pressing any functional key and should on line.
Monitor	The machine should be able to produce clear image on dual/single LCD monitor for colour and B/W image.
Zoom	Zoom facility should be available to magnify the chosen area of and image sixty four times [x64] or more. Image feature should be key board control label.
Film safety	The machine should be film safe. In other word photographic films must not be damage due to x-ray examination.
Imaging Facility	The machine should have features of multi energy x-ray imaging facility where materials of different atomic number will be displayed in different colours to distinguish between organic and inorganic materials with this colour's to distinguish between organic and inorganic materials. With this method it should be possible to distinguish high-density organic materials including explosive. Machine should have variable colours or material stripping to facility the operator monitor image of organic materials for closer scrutiny. all suspicious items [Explosive, High density materials, narcotics] Should be displayed in one mode and that should be on line.
X-ray leakage	The radiation level should not exceed accepted health standard [0.1 mr/HR] at distance of 5cm from external housing.
Safety screens	Lead impregnated safety screens should be available at either ends of tunnel, idle rollers to be provided at either ends of the tunnel to facilitate placing of baggage at the inputs and output points.
Beam divergence	The x-ray beam divergence should be such that the complete image of maximum size of beg is displayed without corner cuts with edge enhancement imaging.
Contrast	Facility for variable Contrast must be in corporate to allow enhancement of lighter and darker portion of the images. The scanned image should be displayed in four [4] or more colours.
Audio visual alarm	If the machine fail to penetrate a particulars items then alarm [visual and audio both] should be generated to notify the operator.
TIP Software	The threat image projection (TIP) system software to be incorporated in all X-ray baggage inspection operation.
Locking	Control desk with security housing and locking provision with console table should be available. The operator personal identification number can be entered through keyboard.
Image enhancement	Facility of image enhancement and image imitation should be available.
Conveyor belt speed	Conveyor belt speed should be at least 0.2 meter per second
Password	All software features of machine should be online be and password protected.
Error message	In case of defective diode arrays. Scanning should be disabled and error message should be displayed on the screen.
Software	System should work on one software only, All software features should be controlled from keyboard of machine only, keyboard function should be user friendly to enable/ disable the software features system should not be rebooted.
Recording Image Transfer	All models should have online recording facility and images can be transferred to external storage device through USB Port.

Diagnosis	All models should have software controlled diagnosis report facility and system should give print out - if printer is connected. it should have self-diagnose in real time.
Operating/ storage temperature	The operation temperature should be 0^0c to 50^0C and storage temperature 20^0c to 60^0c.
Protection	Anti rodent and dust proof cover must be provided.
ISO certification	The company manufacturing the equipment should have ISO certification for manufacturing and servicing of X-Ray screening machine in India.
Software enhancement	The machine should be so designed that software enhancement can be easily implemented to take care of knew technique in image processing and pattern recognition.
Through put	Through put shall be 300 bags per hour for hand and checked baggage.
Safety	The machine must comply with requirement of health and safety regulations with regard to mechanical, electrical, and radiation hazards. Before installation of the machine, the supplier/manufacturers should furnish NOC from Atomic Energy Regulatory Board Offered (AERB) of India regarding radiation safety.
Image review	Machine should be capable of recalling minimum 15 or more previous images.
Image archiving	It should have the capability of archiving 50000 images.
Additional Accessories	1. In any out roller of minimum 0.6m length each is to be provided on both sides of machine. 2. 2KVA on line UPS with 30min. power back up in case if power failure. 3. Table to in mount LCD monitor.
Operating manual	One operating manual shall be provided with each machine.
Combined Test Piece (CTP)	The manufacture shall provide one set of CTP per machine for checking serviceability of the machine by the operator.
Warranty	2 Year

उपरोक्त हार्डवेयर/उपकरणों के स्पेसिफिकेशन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अति. पुलिस अधीक्षक(सतर्कता)
मुख्यालय कारागार, राजस्थान
सदस्य

लेखाधिकारी
मुख्यालय कारागार राजस्थान
सदस्य

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
अध्यक्ष

(इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।)

<u>नमूना एवं परीक्षणः–</u>

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण करवाया जा सकता है। उसके परीक्षण/निरीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जावेगें। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो परीक्षण/निरीक्षण प्रभार बोलीदाता से वसूल किये जावेगें।
2. विभाग चाहेगा तो बोली सूचना में अंकित आईटम का डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकेगा। डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन में असफल पाये जाने पर बोली पर विचार नही किया जावेगा।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

Form of Bid-Securing Declaration

Date :

Bid No. ' Alternative
No.

To:

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept diat we ate required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rtiles.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security 1s furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--------------------------------------

Name :--

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to 8ign the bid for and on behalf of:

Dated on day of

Corporate Seal ....

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the **Joint Venture** that is submitting the bid.]

2